न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 253/2021 दायर दिनाँक 08.09.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. विक्रमसिंह पुत्र स्व. तेजसिंह उम्र 60 वर्ष 2. प्रितमसिंह पुत्र विक्रमसिंह उम्र 40 वर्ष 3. विरेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह उम्र 35 वर्ष 4. लोकेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण खरेश, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. ललिता कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष 3. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा जोधपुर 4. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना। 5. महेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह 6. सरोजकंवर पत्नि प्रितमसिंह 7. संतोषकंवर पत्नि विरेन्द्रसिंह 8. दुर्गेशकंवर पत्नि लोकेन्द्रसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री प्रितमसिंह वकील वादीगण।
2. श्री जयप्रकाश वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.10.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद खरेश भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं0 739 रकबा 1.13 हैक्टे0, खसरा सं0 744 रकबा 0.2500 हैक्टे0 वादी संख्या 01 की खातेदारी का व खेत खसरा सं0 945 रकबा 1.8400 हैक्टे0 वादीगण संख्या 02 से 04 तथा प्रतिवादी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी का कब्जा काश्त का अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खैतायो में से संशोधित वाद के नजरी नक्शामें दर्शित कटाणी रास्ता मार्क ए से बी भूमि वादी संख्या 01 के वर्तमान खेत खसरा सं0 739 रकबा 1.13 हैक्टे0, खसरा सं0 744 रकबा 0.2500 हैक्टे0 में से रास्ता खेत खसरा सं0 743 रकबा 0.2200 हैक्टे0 व मार्क बी से सी वादी संख्या 02 से 04 तथा प्रतिवादी संख्या 02 तथा 5 से 7 तक की भूमि में से रास्ता खसरा 935 रकबा 0.53 हैक्टे0 में से बी से सी दर्शाया गया है। जबकि मौके पर ऐसा मार्क ए, बी, सी कोई भी रास्ता कटाण के रूप में मौजुद नही होकर के उक्त रास्ता अनुसूचि "अ" में दर्शित मार्क डी,ई,एफ (मार्क डी से ई वादी सं0 1 की भूमि व मार्क ई से एफ वादीगण संख्या 02 से 04 तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 05 से 08 की भूमि में से खसरा 738 रकबा 0.13 हैक्टे0, खसरा सं0 740 रकबा 0.04 हैक्टे0 खसरा 741 रकबा 0.04 हैक्टे0 व खसरा सं0 745 रकबा 0.07 हैक्टे0 के रूप में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 तथा 05 से 08 की भूमि में से है ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि वाद हैतुक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाकै सरहद खरेश पटवार क्षैत्र खरेश भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं0 739 रकबा 1.13 हैक्टे0, खसरा सं0 744 रकबा 0.2500 हैक्टे0 वादी संख्या 01 की खातेदारी का व खसरा सं0 945 रकबा 1.84 हैक्टे0 वादीगण संख्या 02 से 04 तथा प्रतिवादी सं0 02 की संयुक्त खातेदारी का व कब्जा काश्त का होने से तथा नजरी नक्शा में दर्शित कटाण रास्ता मार्क ए से बी भूमि वादी संख्या 01 के वर्तमान खेत खसरा सं0 739 रकबा 1.13 हैक्टे0, खसरा सं0 744 रकबा 0.2500 हैक्टे0 में से व मार्क बी से सी वादी संख्या 02 से 04 तथा प्रतिवादी संख्या 02 के खेत खसरा सं0 945 रकबा 1.84 हैक्टे0 में से दर्शाया गया होने से तथा जबकि मौके पर ऐसा मार्क ए,बी,सी कोई भी रास्ता कटाण के रूप में मौजुद नही होकर के उक्त रास्ता अनुसूचि ''अ'' में दर्शित मार्क डी, ई, एफ (मार्क डी से ई वादी संख्या 01 की भूमि व मार्क ई से एफ वादीगण संख्या 02 से 04 तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 05 से 08 की भूमि में से रास्ता खसरा सं0 738 रकबा 0.13 हैक्टे0, खसरा सं0 740 रकबा 0.04 हैक्टे0, खसरा सं0 741 रकबा 0.04 हैक्टे0 व खसरा सं0 745 रकबा 0.07 हैक्टे0) के रूप में मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 तथा 05 से 08 की भूमि में से मौजुद है व यही मार्क डी, ई, एफ रास्ता ही आने जाने व आवागमन के रूप में काफी सालो से काम में आ रहा होने से तथा संशोधित वाद की अनुसूचि ''अ'' में वर्णित रास्ता मार्क ए, बी, सी मौके पर मौजुद नही होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 उक्त मार्क पर रास्ता कायम करने पर उतारू होने से निरन्तर वाद कारण अदालत हाजा के अधीन उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि बहक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 वाकै सरहद खरेश पटवार क्षैत्र खरेश भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित नजरी नक्शा में दर्शित कटाण रास्ता मार्क ए से बी भूमि वादी संख्या 01 के वर्तमान खेत खसरा सं0 739 रकबा 1.13 हैक्टे0, खसरा सं0 744 रकबा 0.2500 हैक्टे0 में से व मार्क बी से सी वादी संख्या 02 से 04 तथा प्रतिवादी संख्या 02 के खेत खसरा सं0 945 रकबा 1.84 हैक्टे0 में से हटाये जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार इसी भूमि को अनुसूचि अ के अनुरूप वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 के खेतो की घोषित की जाकर इसकी जगह मार्क ई से एफ वादीगण संख्या 02 से 04 तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 05 से 08 की भूमि में से रास्ता खसरा सं0 738 रकबा 0.13 हैक्टे0, खसरा सं0 740 रकबा 0.04 हैक्टे0, खसरा सं0 741 रकबा 0.04 हैक्टे0 व खसरा सं0 745 रकबा 0.07 हैक्टे0 के रूप में मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 तथा 05 से 08 की भूमि में से घोषित किया जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर [illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 01 बावजूद ता[illegible] के [illegible]यालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल [illegible] जाने का आदेश पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संशोधित वाद के नजरीनक्शा अनुसुचि "अ" व तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 738, 740, 741 व 745 को कटाणी रास्ता घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद खरेश के खसरा सं0 740, 741, 745 व 738 में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना व संशोधित वाद में दर्शित नजरीनक्शा अनुसूचि "अ" के मुताबिक कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.10..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **253/2021** दायर दिनाँक **08.09.2021**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. विक्रमसिंह पुत्र स्व. तेजसिंह उम्र 60 वर्ष 2. प्रितमसिंह पुत्र विक्रमसिंह उम्र 40 वर्ष 3. विरेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह उम्र 35 वर्ष 4. लोकेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण खरेश, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. ललिता कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष 3. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा जोधपुर 4. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना। 5. महेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह 6. सरोजकंवर पत्नि प्रितमसिंह 7. संतोषकंवर पत्नि विरेन्द्रसिंह 8. दुर्गेशकंवर पत्नि लोकेन्द्रसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **25.10.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रितमसिंह वकील वादीगण व श्री जयप्रकाश वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद खरेश के खसरा सं0 740, 741, 745 व 738 में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना व संशोधित वाद में दर्शित नजरीनक्शा अनुसूचि "अ" के मुताबिक कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **25.10.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:38 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, जोकि डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner